कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 2541 / 14 / शासन / तक / 2002 भोपाल, दिनांक 10.10.2002

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश.

विषयः— आई.डी.एम.एस.टी., ब्लाक लोन तथा साडा काउन्टर योजना के अन्तर्गत निष्पादित बन्ध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क वसूली के संबंध में।

———

गत वर्षों में विभिन्न स्थानीय संस्थाओं को संचालक ग्रामीण तथा नगर निवेश विभाग द्वारा प्रदत्त किए गए ऋणों की सूची संलग्न है। ऋणों के विरूद्ध स्थानीय संस्थाओं द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित किये गये है, जिनका स्वरूप बन्ध—पत्र का होने से, इन पर ऋण की राशि के 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है, जबकि संस्थाओं द्वारा इन पर मात्र 10 रूपये स्टाम्प शुल्क चुकाया गया है।

उक्त के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा स्थानीय शासन विभाग को निर्देश दिये गये थे कि प्राधिकरण / नगर पालिकाओं में से स्टाम्प शुल्क की राशि को कटौती कर लेखाशीर्ष 0030 के अंतर्गत जमा करायें। इसी प्रकार रतलाम स्थित संस्थाओं के पक्ष में पट्टों के संबंध में भी ऐसे ही निर्देश प्रसारित किये गये थे।

कृपया संलग्न सूची में आपके जिले से संबंधित सभी संस्थाओं के कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें कि स्थानीय शासन विभाग/ आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा कितनी राशि की कटौती की गई है। यदि जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो स्वयं जाकर कार्यालयों का निरीक्षण करें। यदि यह पाया जाता है कि कटौती नहीं की गई हो, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधानों के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क संबंधित आदेश एवं वसूली की कार्यवाही करें। कृपया वस्तुस्थिति एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को दिनांक 15.11.02 तक अवश्य अवगत कराएं।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / 2562 / 14 / शासन / तक / 2002 भोपाल, दिनांक 10.10.2002

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया शासन स्तर पर स्थानीय शासन विभाग एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग से भी जानकारी प्राप्त करने

का कष्ट करें जिससे कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 129/170/चार/व–1/2002 दिनांक 12.02.2002 तथा 475/408/चार–ब /2002 दिनांक 10.04.2002 के संदर्भ में प्राप्त राशि की समीक्षा की जा सके।

2. प्रमुख सचिव स्थानीय शासन/आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर, कृपया संबंधित कार्यालयों का निर्देश जारी करना चाहेंगे।

3. समस्त कलेक्टर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

सूची (बंध पत्रों की)

संस्था का नाम	ऋण की राशि (लाख रू. में)	संस्था का नाम	ऋण राशि (लाख रू.)
विकास प्राधिकरण देवास	63.50	नगर पंचायत खजुराहो	79.47
नगरपालिका इटारसी	84.70	नगरपालिका रीवा	84.94
नगर निगम कटनी	64.70	नगरपालिका बुरहानपुर	81.67
नगरपालिका बालाघाट	66.36	नगरपालिका मुरैना	55.12
म.प्र.गृ.नि.मं. मुरैना	20.00	नगरपालिका हरदा	71.37
नगरपालिका सिंगरौली	79.29	नगरपालिका गुना	66.00
गृ.नि.मं. गुना	10.81	नगरपालिका सीधी	73.36
नगरपालिका छिंदवाड़ा	60.55	नगरपालिका गाडरवाड़ा	88.67
नगरपालिका होशंगाबाद	81.79	नगरपालिका पिपरिया	39.25
नगर पंचायत अमरंकटक	91.00	नगरपालिका शहडोल	94.70
नगरपालिका भांडेर	19.81	नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर	17.54
नगरपालिका रतलाम	63.33	नगरपालिका सतना	54.83
नगरपालिका छतरपुर	91.10	नगरपालिका बैतूल	92.00
नगर पंचायत औबेदुल्लागंज	38.98	नगरपालिका नीमच	92.00
नगरपालिका भिण्ड	41.50	नगरपालिका दमोह	45.21
नगरपालिका सीहोर	75.58	नगरपालिका पन्ना	47.49
नगरपालिका विदिशा	90.00	नगरपालिका शिवपुरी	50.00
नगरपालिका दतिया	20.00	नगरपालिका खरगोन	81.50
नगर निगम सागर	125.00	नगरपालिका मंदसौर	62.36
नगरपालिका टीकमगढ़	100.00	नगरपालिका मंडला	120.00
नगरपालिका मुलताई	54.01	नगर निगम खंडवा	112.50
नगरपालिका पांढुरना	84.99	नगरपालिका जावरा	55.00
नगरपालिका सौंसर	36.66	साडा ग्वालियर	30.00
नगर पंचायत चित्रकूट	59.99	नगर पंचायत पीथमपुर	23.34
नगरपालिका नरसिंहपुर	61.66	नगरपालिका अजयगढ़	36.66
नगरपालिका गरोठ	59.99	साडा ग्वालियर (काउंटर मेंगनेट स्कीम)	1283.50

सूची (पट्टा विलेखों की)		
संस्था का नाम	**पट्टा वर्ष**	**देय शुल्क की राशि**
नगर सुधार न्यास रतलाम	89–90	39,325 / –
नगरपालिका निगम रतलाम	09.06.99	20,457 / –
नगरपालिका निगम रतलाम	11.10.99	48,488 / –
सिविल सेंटर योजना	93.94	15,33,266 / –